निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 119/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बनवारी पुत्र छीतर दत्तक पुत्र रामनारायण उर्फ बद्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी डिडावता, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1 कैलाश चन्द पुत्र श्री विजय नारायण

2 श्रीमती अंजू पत्नी श्री कैलाश चन्द

3 श्रीमती अनिता देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी डिडावता, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।

4 श्री राकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2023 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 38/2023 ब उनवानी बनवारी बनाम कैलाश चन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

जिला कलक्टर जिला जयपुर (ग्रामीण)

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हनुमान सहाय सिहाग अधिवक्ता 1 लगायत 3 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 20.08.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2023 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 38/2023 ब उनवानी बनवारी बनाम कैलाश चन्द व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री हनुमान सहाय सिहाग अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. वहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 कैलाश पुत्र विजय नारायण ग्राम डिडावता में पोस्ट आफिस में पोस्टमैन की हैसियत से कार्यरत राजकीय कर्मचारी है, जो अधीनस्थ

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर बातचीत करने लगा तथा चैम्बर के बाहर आते ही प्रार्थी को धमकी दी कि मेरी पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण के संबंध में बातचीत हो चुकी है और आगामी 1–2 पेशियों में मैं तुम्हारे वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवा लूंगा और मौके पर कब्जा कर भूमि को खुर्दबुर्द कर दूंगा । दिनांक 12.06.2024 को प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धमकी दिये जाने पर प्रार्थी ने स्वयं पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि सरे अदालत अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवाने की खुले आम धमकी दी है । इस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं देते हुये प्रार्थी चैम्बर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब मै तुम्हारा प्रकरण जल्द ही निस्तारित कर दूंगा और तुम दर दर की ठोकरे खाते रहना । इससे प्रार्थी को स्पष्ट अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जो कि राजनैतिक व धनबल में ऊची पहुंच रखते है। जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अप्रार्थी संख्या 4 को अपने प्रभाव व प्रलोभन में ले रखा है। इससे प्रार्थी को अप्रार्थी सख्यां 4 के न्यायालय से न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर कर रखा है। इसलिए जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner